भभूती प्रसाद स्मारक महाविद्यालय

धारा रोड, परिक्रमा मार्ग, फैजाबाद

सम्बद्ध- डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद-224001 (उ.प्र.)

विवरणिका एवं प्रवेश फार्म

CS CamScanner

महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। उसे समय–समय पर परिवर्तित होने वाले नियमों अथवा नये नियमों का भी पालन करना होगा।

यह विवरणिका सम्पूर्ण नियमावली है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली, अध्यादेशों आदि से प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य

महाविद्यालय का संक्षिप्त विवरण

भभूती प्रसाद स्मारक महाविद्यालय धारा रोड, परिक्रमा मार्ग फैजाबाद पर स्थित है। यह महाविद्यालय अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस महाविद्यालय की स्थापना फैजाबाद क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं की उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था के अभाव को देखते हुए सन् 2012 में बालक एवं बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की योजना बनाई गयी। तद्नुसार फैजाबाद परिक्रमा मार्ग पर लगभग (0.506 हे०) भूमि पर एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

महाविद्यालय में संचालित कोर्स/पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं–

1. बी०ए० 2. बी०एस–सी० 3. बी०कॉम०
4. बी०सी०ए० 5. बी०टी०सी० (डी०एस०एड्०) द्विवर्षीय

महाविद्यालय का उद्देश्य छात्र–छात्राओं को आदर्श अनुशासन में रखकर कुशल एवं दक्ष नागरिक बनाना एवं छात्र–छात्राओं की क्षमता को पहचान कर उनकी रुचियों के अनुसार उनको परिष्कृत कर कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

प्रवेश संबंधी नियम तथा सूचनायें

महाविद्यालय का शिक्षण सत्र 01 जुलाई से आरम्भ होता है, प्रवेश के लिए छात्र–छात्राओं को इस विवरणिका का भली भाँति अध्यन कर लेना चाहिए। महाविद्यालय का प्रवेश पूर्णतः छात्र–छात्राओं की योग्यता के अनुरूप तथा वि०वि० एवं राज्य सरकार के मानको एवं निर्देशों के अनुरूप ही दिया जाएगा, महाविद्यालय की प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र सभी संलग्नको के साथ महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ जमा करना होगा अथवा महाविद्यालय की वेबसाइट www.bpsmfzd.in पर ऑनलाइन आवेदन कर प्रिंट आउट महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ जमा करना होगा, प्रवेशित सभी छात्र–छात्राओं की सूची महाविद्यालय के सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) और

CamScanner

महाविद्यालय की वेबसाइट www.bpsmfzd.in पर प्रदर्शित की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है:–

1. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकपत्र/प्रमाण पत्र।
3. अंतिम शिक्षा संस्थान जहाँ से विद्यार्थी ने परीक्षा पास की हो, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) मूल रूप से।
4. ऐसे छात्र जिनकी पूर्ववर्ती वर्ष में शिक्षा में व्यवधान रहा हो, को 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

ऐसे सभी आवेदन जो की अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

प्रवेश संबंधी शर्तें

किसी भी छात्र–छात्रा को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश स्वीकृत किया जायेगा–

1. प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति की संस्तुति पर ही प्रवेश दिया जायेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।
2. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत होना चाहिये।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्र–छात्राओं के प्रवेश के लिए इण्दरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा हो जाना चाहिये। तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।
5. उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित परिसीमाओं के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों द्वारा जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शहीद या अपंग सुरक्षाकर्मी के वास्तविक वार्ड/विकलांग/एन.सी.सी. या खेलों के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

CamScanner

6. श्रेष्ठता सूची व प्रवेश के सम्बंध में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

कला संकाय के स्नातक स्तर पर विषयों का चयन

महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं संगीत विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है। बी.ए. प्रथम वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन विषयों का चयन किया जा सकता है।

बी.ए. भाग एक में चयनित तीन विषयों का अध्ययन, बी.ए. भाग दो में भी करना होगा तथा बी.ए. भाग तीन में बी.ए. भाग दो में लिये गये विषयों में से किन्हीं दो का अध्ययन करना होगा।B.A. भाग तीन में पर्यावरण अनिवार्य विषय के रूप में लेना होगा।

विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर पर विषयों का चयन

महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के अंतर्गत बी०एस–सी० पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में शिक्षण की व्यवस्था है। बी०एस–सी० प्रथम वर्ष में छात्र–छात्राएं किन्ही तीन विषयों का चयन कर सकते है, भाग एक में चयनित तीनों विषयों का अध्यन भाग दो में भी करना होगा। बी०एस–सी० भाग तीन में भाग दो में चयनित तीन विषयों में से किन्हीं दो में अध्यन करना होगा। भाग तीन में पर्यावरण अध्यन अनिवार्य रूप से लागू होगा।

वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पर प्रवेश

वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बी०कॉम० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में शिक्षण की व्यवस्था है।

B.C.A. विज्ञान संकाय हेतु स्नातक स्तर पर प्रवेश

B.C.A. विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में शिक्षण की व्यवस्था है।

बी०टी०सी० / डी०एल०एड्० में प्रवेश

B.T.C. में प्रवेश उ०प्र० राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत डायट द्वारा काउंसलिंग के अनुसार प्रवेश होगा।

विषय एवं संकाय परिवर्तन

सामान्यतयः विषय परिवर्तन की सुविधा देय नहीं है। यदि छात्र–छात्राओं को किन्हीं कारणों से विषय परिवर्तन हेतु आवेदन करना है तो एक सप्ताह के अन्दर ही प्रार्थना पत्र देना चाहिये। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना संभव नहीं है। कोई भी छात्र–छात्रा अपनी इच्छानुसार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक छात्र–छात्रा को पुस्तकालय एवं वाचनालय के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा।

1. प्रत्येक छात्र–छात्रा को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें मिलेंगी। पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गत की जायेगी।
2. निर्धारित समय पर पुस्तकें जमा न करने पर दो रूपया प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
3. छात्र–छात्राओं को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिन और समय पर पुस्तकें निर्गत की जायेंगी।
4. पुस्तकें फटने या खराब होने का उत्तरदायित्व छात्र–छात्राओं का होगा।
5. छात्र–छात्राओं द्वारा पुस्तकालय से प्राप्त की गयी पुस्तकों को विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व जमा कर देना होगा। इसके बाद ही छात्र–छात्राओं को प्रवेश पत्र दिया जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पद छात्र–छात्राओं को पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी।
6. पुस्तकालय संबंध सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।
7. वाचनालय में छात्र–छात्राओं को हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्र तथा उपयोगी साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।
8. प्रत्येक छात्र–छात्रा का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह वाचनालय में पूर्ण शान्ति बनाये रखें।
9. समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं केवल वाचनालय में पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी।
10. वाचनालय में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं परिचय पत्र दिखाकर प्राप्त की जा सकेंगी।
11. समाचार पत्र/पत्रिका जमा करने पर परिचय पत्र वापस कर दिया जायेगा।

उपस्थिति

सत्र में महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में दिये गये कक्षा व्याख्यानों में छात्र–छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विषय से सम्बद्ध प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगात्मक कार्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

अनुशासन

छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में पूर्णरूपेण अनुशासन बनाये रखना आवश्यक होगा। महाविद्यालय में एक नियन्ता मण्डल होगा जो छात्र–छात्राओं को अनुशासन बनाये रखने के लिए सचेत करेगा। नियन्ता मण्डल के निर्देश का पालन सभी छात्र–छात्राओं के लिए अनिवार्य होगा। नियंता मण्डल के किसी भी सदस्य द्वारा कभी भी छात्र/छात्रा का पहचान–पत्र मांगे जाने पर अनिवार्यतः दिखाना होगा। पहचान–पत्र महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अनिवार्य है।

आचरण सम्बन्धी कतिपय निर्देश

1. छात्र–छात्राओं से विनम्र एवं भद्र व्यवहार अपेक्षित है।
2. महाविद्यालय के भवन एवं श्यामपट पर अनावश्यक एवं निरर्थक शब्द लिखना व पोस्टर चिपकाना पूर्णरूपेण वर्जित है।
3. महाविद्यालय को किसी प्रकार से गन्दा न करें।
4. महाविद्यालय में पुष्प एवं लताओं आदि को तोड़ना वर्जित है।
5. कक्षाओं के सामने बरामदे में छात्र–छात्राओं को पुस्तकालय अथवा सामान्य कक्ष में चल जाना चाहिये।
6. छात्र–छात्राएं अपने वाहन निर्धारित स्थल पर ही रखें।
7. छात्र–छात्राएं कक्षा में समय से तथा नियमित रूप से आयें।
8. कक्षा में मोबाइल लाना सख्त मना है।
9. प्राचार्या तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं के आदेशों को पूर्णरूपेण पालन करें।
10. उपर्युक्त का पालन न करने पर महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है या उसे कालेज से निष्काषित किया जा सकता है।

CamScanner

छात्र-छात्राओं को प्रत्येक दिन परिचय पत्र लाना आवश्यक है।

10. महाविद्यालय परिसर में पान मसाला एवं धूम्रपान दण्डनीय है।

11. उपरोक्त नियमों के कड़ाई से पालन न करने पर महाविद्यालय छात्र-छात्रा के

12. अर्थदण्ड/निलम्बन व निष्कासन हेतु स्वतंत्र होगा।

छात्रवृत्ति

पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाऐगी। यह छात्रवृत्ति उ0प्र0 राज्य सरकार के नियमों/निर्देशों के अनुपालन में दी जायेगी।

क्रीड़ा

छात्र-छात्राओं के शारीरिक विकास हेतु महाविद्यालय में विभिन्न खेलकूदों का प्रबन्ध है। महाविद्यालय के पास समुचित क्रीड़ा-स्थल है। वर्तमान में बैडमिन्टन, शतरंज, कैरम, वालीबाल, हैण्डबाल, वास्केट बाल आदि की व्यवस्था है।

किसी भी छात्र-छात्रा को क्रीड़ा सामग्री घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विश्वविद्यालय तथा अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाली टीमों को खेल प्रशिक्षकों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

परिचय-पत्र

प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय-पत्र रखना आवश्यक है। जिसे प्रवेश के बाद यथाशीघ्र कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिये। खो जाने पर रूपया 50/- जमा करने पर दूसरा परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

CS CamScanner

शुल्क विवरण

1. कला संकाय :–

बी०ए०– I, II, III (प्रायोगिक विषयों के साथ) रू० 3200/- (प्रति वर्ष)

बी०ए०– I, II, III (प्रायोगिक विषयों के बिना) रू० 2900/- (प्रति वर्ष)

नोट :– परीक्षा शुल्क तथा नामांकन शुल्क वि०वि० को देय होगा, जिसका निर्धारण वि०वि० द्वारा किया जाएगा, यह शुल्क महाविद्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा फार्म के साथ अलग से देय होगा।

2. विज्ञान संकाय :–

बी०एस–सी० :– रू० 5500/- (प्रति वर्ष)

बी०सी०ए० :– रू० 9500/- (प्रति सेमेस्टर)

नोट :– परीक्षा शुल्क तथा नामांकन शुल्क वि०वि० को देय होगा, जिसका निर्धारण वि०वि० द्वारा किया जाएगा, यह शुल्क महाविद्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा फार्म के साथ अलग से देय होगा।

3. वाणिज्य संकाय :–

बी०कॉम० :– रू० 5000/- (प्रति वर्ष)

नोट :– परीक्षा शुल्क तथा नामांकन शुल्क वि०वि० को देय होगा, जिसका निर्धारण वि०वि० द्वारा किया जाएगा, यह शुल्क महाविद्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा फार्म के साथ अलग से देय होगा।

4. शिक्षा संकाय :–

बी०टी०सी० :– इस पाठ्यक्रम का शुल्क उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की परिनियमावली के आधीन, राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

नोट:– उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार SC/ST अभ्यर्थियों का प्रवेश निःशुल्क किया जायेगा।

CamScanner